

राजस्थान सरकार
उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 4(12) उद्योग/1/2022 पार्ट

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किये जा रहे जोधपुर-पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विशेष विनिधान रीजन में विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने के लिए ग्राम दूदली, रोहट, सिणगारी, डूंगरपुर, निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला-पाली की कुल 1086.4494 है० निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 13.02.2024 को जारी की गई।

प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 13.02.2024 को जारी किये जाने पश्चात लोकसभा चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने एवं मानसून की अधिकता के कारण पाली जिले में उत्पन्न बाढ़ के हालात और अवाप्ताधीन भूमि के जलमग्न होने के कारण अधिनियम 2013 के प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में विलम्ब कारित हुआ है।

अतः उक्त वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते ग्राम दूदली, रोहट, सिणगारी, डूंगरपुर, निम्बली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला-पाली की कुल 1086.4494 है० निजी खातेदारी भूमि को अवाप्त करने के क्रम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी किये जाने की समयावधि धारा 19(7) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दिनांक 13.02.2025 से बढ़ाकर 13.05.2025 किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महिपाल कुमार)
शासन उप सचिव



प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, रीको लि०, जयपुर।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त एवं आयुक्त, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, जोधपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र-क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, पाली।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग/अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणलय, जयपुर को असाधारण गजट में प्रकाशन करवाने बाबत्।
8. अतिरिक्त आयुक्त, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
9. भूमि अवाप्ति अधिकारी, डीएमआईसी प्रकोष्ठ, रीको लि०, जयपुर को सम्बन्धित वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने बाबत्।
10. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र-क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव